मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक– 16.12.2019 को CWJC No:- 8939/2019 गौरव कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य से संबंधित मामले में दिनांक– 19.11.2019 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति – संलग्न।

सर्वप्रथम सचिव, नगर विकास एव आवास विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को अवगत कराया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सड़क चौड़ीकरण एवं अन्य विकासात्मक कार्यों के दौरान काटे गए वृक्षों के स्थान पर लगाए गए नए वृक्षों की वर्तमान स्थिति एवं उनकी संख्या के सम्बन्ध में जानकारी माँगी गई है। साथ ही आगामी 03 से 05 वर्षों के अन्दर पटना शहरी क्षेत्र में हरित आवरण (Green Cover) बढ़ाने के संबंध में कार्य योजना की भी जानकारी माँगी गई है। तदोपरांत सभी संबंधित विभागों द्वारा अपने विभाग की स्थिति को स्पष्ट किया गया।

2. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से मुख्य वन संरक्षक द्वारा बताया गया है कि नगर निगम पटना क्षेत्र में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अनुमति के बगैर कोई पेड़ नहीं काटा जा सकता है। Tree Protection Plan के तहत पहले के Policy के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के एजेंसी द्वारा जितने भी पेड़ लगाये गये है उनका रख–रखाव 3 वर्षो तक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग करती है। जिन पेड़ों को किसी परिसर में लगाया जाता है, उसके रख–रखाव की जिम्मेवारी परिसर के अधीन होता है।

पेड़ों के Numbering, Authenticating तथा Coding संबंधित कार्य पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के स्तर पर Long term Plan के तहत विचाराधीन है। निदेश दिया गया कि इस योजना की स्वीकृति हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई शीघ्र किया जाय। यह भी निदेश दिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा पटना शहरी क्षेत्र में वर्ष 2018 से लगाए गये पेड़ों की अद्यतन स्थिति के संबंध में तथा पटना शहरी क्षेत्र मे आगामी 03 से 05 वर्षों के अन्दर हरित आवरण बढ़ाने से संबंधित कार्य योजना का प्रतिवेदन नगर विकास एवं आवास विभाग को एक सप्ताह के अन्दर भेज दिया जाय।

3. प्रधान सचिव, उर्जा विभाग द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि उर्जा विभाग पोल गाड़ने तथा बिजली के तार के कनेक्शन के दौरान कभी भी किसी पेड़ को नहीं काटती है, अगर कुछ पेड़ों को काटने की स्थिती आती है तो उन्हें Relocate किया जाता है। विधुत भवन Campus में कुछ पेड़ों को Relocate किया गया है। मानसून के पहले Schedule Maintenance के लिए आवश्यकता अनुसार पेड़ो की छँटनी की जाती है। उर्जा विभाग द्वारा Power Plant तथा Power Grid के

चाहरदिवारी के बगल में Green Grid के तर्ज पर ट्री कभर को बढ़ाने के उद्देश्य से Grid Policy में आवश्यक संशोधन की कार्रवाई की जा रही है। निदेश दिया गया कि उर्जा विभाग द्वारा इस संबंध मे लिखित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर नगर विकास एवं आवास विभाग को भेज दिया जाय।

4. प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि पथों के चौड़ीकरण हेतु यदि किसी वृक्ष के कटाई की आवश्यकता होती है तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए वृक्ष की कटाई की जाती है। उनके द्वारा इस सम्बन्ध में पथ निर्माण विभाग का लिखित प्रतिवेदन नगर विकास एवं आवास विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।

5. नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना को निदेश दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन तैयार कर नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करायें।

6. सभी विभागों को निदेश दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एक सप्ताह के अन्दर लिखित प्रतिवेदन नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय, ताकि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा उन प्रतिवेदनों को समेकित करके ससमय माननीय उच्च न्यायालय मे प्रतिशपथ पत्र दायर किया जा सके।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

ह०/–
(दीपक कुमार),
मुख्य सचिव,
बिहार

ज्ञापांक– 2ब०/न्या०–19–25/2019 6805 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–31/12/19

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/उर्जा विभाग/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/आयुक्त पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/विभागीय सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/12/19

(आनन्द किशोर),
सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

D:\SECTION -2 (20-21)\yugesh\proceeding.docx

CWJC No. 8939/2019 गौरव कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य से संबंधित मामले में दिनांक– 19.11.2019 को माननीय उच्च न्यायलय पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक– 16.12.2019 को मध्याह्न 12:00 बजे से आयोजित बैठक की उपस्थिति विवरणी :–

क्र० सं०	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1			
2	Amrit Lal Meena	PS RCD	[signature] .11.19
3	कुमार रवि	जिला पदाधिकारी, पटना	[signature] 16/11/19
4	प्रशान्त कुमार गुप्ता	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना	[signature] 16/12/19
5	Chandra Shekhar Singh	MD, BUIDCO	[signature] 16/12/19
6	अमित कु॰ पाण्डेय	नगर आयुक्त, पटना	[signature] 16/12/19.
7	Gopal Singh	CF, Patna	[signature] 16.12.19
8	Sushil Kumar	CEC R.T.A. PATNA Commissioner	[signature] 16/12/19
9	Dilip Kr. Singh	GM, PESU Energy dept.	[signature] 16.12.19
10			
11			
12			